



प्रेस नोट

दिनांक 06.12.2024

05 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर , राठ व थाना मुस्करा से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- जयचन्द्र पुत्र रामआसरे निषाद निवासी मु0 डिग्गी डांडा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 21.11.2024 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त- अंशुल उर्फ राजेश मिश्रा पुत्र प्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम धनौरा थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.11.2024 से 06 माह।
- 3.अभियुक्त- विनोद कुमार पुत्रा हरिया वर्मा निवासी मु0 मेरापुर थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 25.11.2024 से 06 माह।
- 4.अभियुक्त- हरिओम पुत्र देवेन्द्र निवासी पहाड़ी भितारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर, दिनांक 25.11.2024 से 06 माह।
- 5.अभियुक्त- आंशू उर्फ इम्तियाज पुत्र बब्लू उर्फ शमशाद निवासी बिहुनी खुर्द थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.11.2024 से 06 माह।